न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 435/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
खेताराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी खुडाला तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर		1– लूम्बाराम पुत्र भेराराम 2– लच्छाराम पुत्र भेराराम 3– मोडाराम पुत्र भेराराम 4– पाबूराम पुत्र भेराराम 5– वीरोदेवी पत्नी भेराराम जातियान कुम्हार निवासीगण खुडाला तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर 6– तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 16–5–2017 जो उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 10/2016 अनवान लुम्बाराम वगैरा बनाम खेताराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री के.सी.चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री पी.आर.मेघवाल अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 20–9–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खुडाला तहसील गुडामालानी के खसरा नंबर 214 का कुल रकबा 195.03 बीघा भूमि के खातेदार भेरा पुत्र मीठा कौम कुम्हार सा0 देह थे जो वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पिता एवं पति थे । उक्त खातेदारी की भूमि मे से 60 बीघा भूमि का बेचान भेरा, गंगा पि0 खुमा कौम जाट निवासी खुडाला को वर्ष 1964 मे कर दिया जिसके आधार पर उक्त खातेदारी की 60 बीघा भूमि का बेचान के आधार पर म्युटेशन वर्ष 1971 मे स्वीकृत हुआ तथा उसके बट्टा नंबर 214/1 पडे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र मे उक्त बेचान का होना स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि उनके पिता एवं पति द्वारा मूल खसरा नंबर 214 मे से 60 बीघा भूमि का बेचान किया तथा बेचान पत्र में अकित पडौस अनुसार मौके पर कब्जा सुपुर्द किया था तथा लट्ठा ट्रेस मे भी तरमीम की गई परंतु लटठा ट्रेस मे की गई तरमीम एवं मौके पर मौजुद कब्जा काश्त तथा विकय पत्र मे अंकित पडौस मे अंतर है, जिसे शुद्ध करवाने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये निवेदन किया ।

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 214 रकबा 135.03 बीघा एवं विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 214/1 रकबा 60 बीघा की लट्ठा ट्रैस मे की गई गलत तरमीम जमाबंदी मे अंकित रकबा की सीमा तक गलत तरमीम को निरस्त कर पंजीयन दस्तावेज के अनुसार रेकर्ड दुरस्त करने के आदेश दिनांक 16–5–2017 को पारित कर दिये, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा खुडाला तहसील गुडामालानी के खसरा नंबर 214 रकबा 195.03 बीघा भूमि के खातेदार भेरा पुत्र मीठा कौम कुम्हार जो वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पिता एवं पति थे जिनके द्वारा अपनी उक्त खातेदारी की भूमि मे से 60 बीघा भूमि का बेचान अपीलांट के पिता गंगा, भेरा पि0 खुमा कौम जाट निवासी खुडाला को वर्ष 1964 मे कर दिया तथा बेचान के आधार पर म्युटेशन वर्ष 1971 मे स्वीकृत हुआ तथा 60 बीघा भूमि के बट्टा नंबर 214/1 पडे । तब से ही अपीलांट के पिता को जिस स्थान पर कब्जा सुपुर्द किया, उसी स्थान पर ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा उक्त भूमि पर अपीलांट का मकान व टांका व ट्युब वेल आदि बने हुए है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पत्रावली को राजस्व लोक अदालत शिविर/कोर्ट केम्प खुडाला मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार पत्रावली जवाब मे चल रही थी तथा उसमे तारीख पेशी दिनांक 5–5–17 मुकर्रर थी परंतु बिना किसी आदेशिका एवं आदेश के ही पत्रावली को कोर्ट केम्प मे ले जाकर बेचान दस्तावेज मे लिखे तथ्यो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने तरमीम दुरस्ती बाबत निर्णय दिनांक 16.5.2017 को पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि जब बेचान वर्ष 1964 मे हो गया था तथा अपीलांट के पूर्वज उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है इस संबंध मे रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पिता एवं पति ने कभी कोई आपत्ति नही की । रेस्पो0 ने अपीलांट को परेशान करने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अति० संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने तथा ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 214 व 214/1 की पूर्व हुई विधिवत तरमीम को यथावत रखने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पिता एवं पति द्वारा अपने खातेदारी की मौजा खुडाला तहसील गुडामालानी के खसरा नंबर 214 की कुल रकबा 195.03 बीघा भूमि मे से 60 बीघा भूमि का बेचान भेरा, गंगा पि0 खुमा कौम जाट निवासी खुडाला को वर्ष 1964 मे कर दिया था तथा उक्त बेचान के आधार पर उक्त खातेदारी की 60 बीघा भूमि का म्युटेशन वर्ष 1971 मे स्वीकृत हुआ तथा उसके बट्टा नंबर 214/1 पडे परंतु बेचान दस्तावेज मे उल्लेख अनुसार तत्समय तरमीम नही की गई होने की जानकारी रेस्पो0गण को होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के समक्ष उक्त गलत हुई तरमीम को दुरस्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार गुडामालानी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर जो तरमीम दुरस्ती बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की छायाप्रति (जो अधीनस्थ न्यायालय से प्रेषित की जाना परंतु इस न्यायालय मे प्राप्त नही होने से) उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की सहमति पर अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की छायाप्रति बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत, का अवलोकन किया तथा रेस्पो0 अधिवक्ता के पास मौजा खुडाला की कुल भूमि मे से अपीलाधीन 60 बीघा भूमि के संबंध मे निष्पादित किये गये बेचान दस्तावेज की प्रति एवं उसके आधार पर स्वीकृत म्युटेशन की छायाप्रति आदि जो फार्म नुंबर 3 के सलंग्न बहस के दौरान प्रस्तुत की आदि का अवलोकन किया ।

मौजा खुडाला तहसील गुडामालानी के खसरा नंबर 214 की कुल भूमि मे से अपीलांट के पूर्वज भेरा, गंगा पि0 खुमा कौम जाट को बेचान की गई 60 भूमि का बेचान वर्ष 1964 मे हो गया था तथा उक्त बेचान के आधार पर केता के पक्ष मे म्युटेशन भी वर्ष 1971 मे स्वीकृत होकर 60 बीघा भूमि के संबंध मे नये खसरा नंबर 214/1 पडे तथा तत्समय राजस्व नक्शे मे जिस स्थान पर तरमीम हुई तथा अपीलांट के पूर्वज को सुपुर्द किये कब्जे अनुसार वे अपने मकान, ढाणियां, टांका व ट्यूबवेल आदि बनाकर निवास करते आ रहे थे परंतु इतनी लंबी समयावधि तक रेस्पो0 के पूर्वज ने अपने जीवनकाल मे अपीलांट के कब्जे काश्त के संबंध मे कोई आपत्ति प्रकट क्यो नही की ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0गण संख्या 1 से 5 ने अपीलांट के कब्जा काश्त को बेचान दस्तावेज मे वर्णित स्थान पर न होकर अन्य स्थान पर होना तथा बेचान के आधार पर राजस्व नक्शे मे तत्समय तरमीम नही कर गलत तरमीम कर दी जाना तथा उसे दुरस्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधि0 का प्रस्तुत करने पर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये ही पत्रावली को केम्प मे ले जाकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह प्रकट है कि पत्रावली जवाब विप्रार्थी संख्या 1 मे चल रही थी जिसमे आगामी पेशी दिनांक 5-5-2017 नियत की हुई थी । आदेशिका मे पत्रावली को केम्प दिनांक 16-5-2017 मे रखकर सुनवाई करने बाबत कोई आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ड्रॉ नही की गई गई है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही माना जा राकता है ।

इसके अलावा जब वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर वर्ष 1971 मे राजस्व नक्शे मे हुई तरमीम को दुरस्त करवाने तथा बेचान दस्तावेज के अनुरूप तरमीम दुरस्ती के आदेश पारित करने का निवेदन किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार गुडामालानी से केम्प खुडाला मे तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 16-5-2017 को प्राप्त की, उक्त रिपोर्ट मे भी ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 214 व 214/1 की तरमीम अनुसार ही कब्जा काश्त होना परंतु पंजीयन दस्तावेज मे दर्शाये अनुसार तरमीम नही होना तथा पंजीयन दस्तावेज एवं वर्तमान लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम मे भिन्नता होना बताया तथा तहसीलदार गुडामालानी ने उक्त रिपोर्ट मे कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस मे तरमीम होने से यथावत रखा जाना उचित है, बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 214 रकबा 135.03 बीघा एवं विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 214/1 रकबा 60 बीघा की लट्ठा ट्रैस मे की गई गलत तरमीम जमाबंदी मे अंकित रकबा की सीमा तक गलत तरमीम को निरस्त कर पंजीयन दस्तावेज के अनुसार रेकर्ड दुरस्त करने के आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित कर दिया, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16-5-2017 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जाता है कि उभयपक्ष की पुनः सुनवाई करें, उन्हे साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करें तथा अपीलाधीन भूमि मे से खसरा नंबर 214/1 की बेचानसुदा 60 बीघा भूमि के संबंध मे वर्ष 1971 मे स्वीकृत म्युटेशन की पुश्त पर बनाये गये नक्शे का भी अवलोकन कर, बेचान दस्तावेज मे उल्लेखित पडौस आदि का भी पुनः परीक्षण कर नये सिरे से धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 20–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर